

यूपी सरकार ने YEIDA, UPSIDA, UPEIDA के वसितार के लिये 2,940 करोड़ रुपए की मंजूरी दी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक नकियों, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA), यूपी राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPSIDA) और यूपी एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) के लिये 2,940 करोड़ रुपए की मंजूरी दी।

मुख्य बढि:

- नवगठित बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण को पहले भूमि अधिग्रहण के लिये 3,000 करोड़ रुपए दिये गए थे।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य में औद्योगिक वसितार के लिये 8,000 करोड़ रुपए अलग रखे गए थे। शेष 5,000 करोड़ रुपए में से, 1,000 करोड़ रुपए UPEIDA के लिये, 1,500 करोड़ रुपए YEIDA के लिये और 440 करोड़ रुपए UPSIDA के लिये स्वीकृत किये गए हैं।
- सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के वसितार के लिये कुल 7,042.67 करोड़ रुपए स्वीकृत किये गए हैं।
- राज्य सरकार नविश आकर्षित करने और उत्तर प्रदेश को देश में अग्रणी नविश स्थल बनाने के लिये प्रतबिद्ध है।

यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA)

- यह उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम, 1976 के तहत दलिली से सटे उनके संबंधित अधिसूचित क्षेत्रों के व्यवस्थित विकास के लिये बनाया गया है, जो यद्योजनाबद्ध नहीं होते, तो अनधिकृत शहरी विकास की संभावना होती।

यूपी एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA)

- यह राज्य में एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं को विकसित करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2007 में स्थापित एक प्राधिकरण है।
- UPEIDA का मुख्यालय लखनऊ के गोमती नगर में पर्यटन भवन में स्थित है।